"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2016—— आश्विन 15, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2016/एक (1). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

शीर्षक- "दो-गृह विभाग" के अंतर्गत भाग (अ) "विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय" के उप-भाग "अ-सामान्य" के सरल क्रमांक 29 में, शब्द "आग की रोकथाम." के स्थान पर, "अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा राज्य आपदा प्रबंधन बल." प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्रमांक एफ 1-1/2016/एक (1). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2016/एक (1), दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

Naya Raipur, the 7th October 2016

NOTIFICATION

No. F 1-1/2016/One (1). — In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

Under the heading "II-Home Department", in serial number 29 of Sub-Part "A-General" of Part (A) "Matters of policy dealt within the Department" for the words "Prevention of Fire." the words "Fire and Emergency Services and State Disaster Response Force." shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIDHI CHHIBBER, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.